

ब्यान मुलजिम

- प्रश्न-1 क्या आपने कथित दिनांक को एम०वी०एक्ट का अपराध कारित किया गया है।?
 उत्तर- जी हां।
- प्रश्न-2 क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं?
 उत्तर- जी हां।
- प्रश्न-3 क्या आपको कुछ और कहना है?
 उत्तर- नहीं।
- स्वीकृत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अपराध साबित है।

सुनकर तस्दीक किया

(प्रमोद कुमार IV)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 रामपुर।

आदेश

अभियुक्त नुक्ताप्रसाद को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा एम०वी०एक्ट के अन्तर्गत रुपये 100/-के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को एक दिन की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक- 05-01-2018

(प्रमोद कुमार IV)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 रामपुर।